

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

किस्म मुकदमा- पत्थरगढ़ी नं. 45/2021 सन् 2021



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तारीख में जारी हुए
------------	---------------------------------	---

28.11.2021

प्रार्थी की ओर से वकील श्री श्रीती नरवारा

ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ड्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।
सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पटवार पटवार मण्डल पटवार तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 0.553, रकबा 0.1190 हे

रकबा 0.1190 हेक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई खायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीणाण आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती करने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 100/- अक्षर एक हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये जायें।
पटवार मण्डल पटवार तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 0.553, रकबा 0.1190 हे

रकबा 0.1190 हे है 0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकदमा तौर पर की जावे।
पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक 11.11.2021 तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सलान पत्रावली हो।
पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला